संख्या-38/2015/1611/60-2-15-2/3(14)/12

प्रेषक,

अरूण कुमार मिश्र
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

महिला एवं बाल विकास अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 16 जुलाई, 2015

विषय : अनुदान संख्या-49 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्यक्रम में एम0आई0एस0 रजिस्टर के भुगतान हेतु पी0एल0ए0 में रखी गयी धनराशि के आहरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-565/बा0वि0परि0/एम0आई0एस0/2015-16, दिनांक 09 जून, 2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आईसीडीएस योजना के अधीन 08-अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्यक्रम के अन्तर्गत एम0आई0एस0 रजिस्टर की आपूर्ति के भुगतान हेतु शासनादेश संख्या-23/2015/966/60-2-15-2/3(14)/12, दिनांक 31 मार्च, 2015 द्वारा स्वीकृत कर उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम के पी0एल0ए0 में रखी गयी धनराशि रूपये 6,91,43,634.00 (रूपये छः करोड़ इक्यानब्बे लाख तैंतालिस हजार छः सौ चौतीस मात्र) की धनराशि को आहरित कर एम0आई0एस0 रजिस्टर की आपूर्ति के भुगतान हेतु निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) आहरित धनराशि को किसी भी दशा में बैंक/डाकघर में नहीं रखा जायेगा तथा उक्त धनराशि को किसी अन्य योजना/कार्यक्रम/ मद/इकाई पर व्यय नहीं किया जायेगा।

(2) उक्त धनराशि का प्रदेशन (एलाटमेंट) मात्र ही किसी प्रकार का व्यय करने का अधिकार प्रदान नहीं करता है। अतः बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत नियमों तथा इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी स्थायी आदेशों के अन्तर्गत जिन मदों पर व्यय करने के लिए सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, व्यय करने से पूर्व तत्सम्बन्धी तकनीकी/प्रशासकीय स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा इसे विहित प्रक्रिया एवं नियमों के अनुसार ही व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(3) स्वीकृत धनराशि के आहरण एवं व्यय के सम्बन्ध में राज्य सरकार/वित्त विभाग द्वारा निर्धारित मानक/समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए धनराशि आहरित की जायेगी।

(4) आहरित धनराशि का भुगतान समस्त वित्तीय नियमों के अन्तर्गत समस्त कार्यवाही पूर्ण करने के उपरान्त ही नियमानुसार भुगतान सुनिश्चित किया जायेगा तथा सम्पूर्ण भुगतान की गयी धनराशि में यदि कोई धनराशि अवशेष बचती है तो उसे चालान द्वारा राजकोष में जमा कराते हुए स्थिति से यथासमय अवगत कराया जाय।

http://shasanadesh.up.nic.in

2. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-ई-3-896/दस-2015, दिनांक 03.07.2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अरूण कुमार मिश्र)
विशेष सचिव

संख्या-38/2015/1611(1)/60-2-2015, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रधान महालेखाकार (जनरल एण्ड सोशल सेक्टर आडिट), उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम, लखनऊ।
4. मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट कोषागार, लखनऊ।
5. सम्बन्धित, कोषाधिकारी, उ0प्र0।
6. वित्त व्यय-नियंत्रण अनुभाग-3/वित्त आय-व्ययक अनुभाग-1।
7. राज्य योजना आयोग-1।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शिवराज कुमार यादव)
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in